



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-1111/DL/1/2023-APCR

दिनांक: 06/05/2024

सेवा मे,

श्री रुडमल मीणा

डी -608, नांगलोई

कैप न०2, दिल्ली -110041

दूरभाष : 9350224405

ई-मेल : roormalmeena@gmail.com

विषय: अभियुक्तों द्वारा जाति सूचक शब्दों से अत्याचार करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में - श्री रुडमल मीणा, नांगलोई, दिल्ली का अभ्यावेदन

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकडा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक 10-05-2024 समय 02:30 P. M. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

प्रतिलिपि:

1

श्री रमेश गुप्ता

पुत्र श्री शिव बालक गुप्ता

मकान नं - 3055/1

गली नंबर - 5 A, रणजीत नगर

नई दिल्ली - 110 008

फोन नं . 9868876724

2

श्रीमती भारती गुप्ता

पत्नी - श्री रमेश गुप्ता

मकान नं - 3055/1

गली नंबर - 5 A, रणजीत नगर

नई दिल्ली - 110 008

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)

उप निदेशक/ Deputy Director

Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in